प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग **देहरादून : दिनांक :** 01 फरवरी, 2019 ~~दिसम्बर, 2018~~

विषय :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में राजकीय स्टेडियम एवं हॉकी स्टेडियम के जीर्णोद्धार हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–994/कोट0स्टे0पत्रा0/2006–07, दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या–185/VI-2/2015–2(13)/2006, दिनांक 23 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में राजकीय स्टेडियम एवं हॉकी स्टेडियम के जीर्णोद्धार कार्यो हेतु टी.ए.सी. के परीक्षणोपरान्त आंकलित धनराशि ₹67.99 लाख के सापेक्ष संस्तुत कुल लागत ₹65.75 लाख **(सिविल कार्यो हेतु ₹65.36 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यो हेतु ₹0.39 लाख)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2014–15 में ***प्रथम किस्त*** के रूप में ₹ 30.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या–185/VI-2/2015–2(13)/2006, दिनांक 23 मार्च, 2015 द्वारा उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त अवशेष बची धनराशि **₹ 35.75 लाख** के सापेक्ष **चालू वित्तीय वर्ष 2016–17** में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ***द्वितीय किस्त*** **के** रूप में ₹ 20.17862 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या–635/VI/2016–2(13)/2006, दिनांक 16 अगस्त, 2016 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि **चालू वित्तीय वर्ष 2018–19** में ***तृतीय एवं अन्तिम किस्त के रूप में ₹ 15.57138 लाख (₹ पन्द्रह लाख सत्तावन हजार एक सौ अड़तीस मात्र)*** की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की ***"राज्यपाल महोदया"*** सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :–

2. स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014, में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। उक्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–474/XXVII(7)/2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के विहित शर्तो के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

6. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष समय–समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन को प्रेषित किये जाय तथा समस्त कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर ही पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

8. अधिप्राप्ति कार्यो हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति संशोधित नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

10. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

11. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद–स्टेडियम–09–अवस्थापना सुविधाओं का अनुरक्षण–00–24** वृहत निर्माण कार्य मद के नामें डाला जायेगा।

12. यह स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3(150)–2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में दिये गये निर्देशों के कम में निर्गत की जा रही है।

संलग्नक–अलाटमैंट आई0डी0 संख्या– S1902110002 **,दिनांक** 01 ~~दिसम्बर, 2018~~ फरवरी, 2019.

भवदीय,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या— 851 /VI/2018—2(13)2006 तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी—1/105, इन्द्रिरा नगर, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पौड़ी।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी गढ़वाल।
7. महा प्रबंधक, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार।
8. जिला क्रीड़ाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/उप क्रीड़ा अधिकारी, राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।
9. एन0आई0सी0 देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य मोहन नौटियाल)
अपर सचिव।

F:\JANUARY 2018\FINANCE 2018\G.O.Docx